राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.6(2)गृह / संपर्क / सचि. / 2002 / 2163-2313 जयपुर, दिनांकः 23/12/19

समस्त,
अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव
शासन सचिव/विभागाध्यक्ष
अध्यक्ष/प्रबंधक निदेशक/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
निगम/बोर्ड/स्वायत्तशासी संस्थाएं

परिपत्र

राज्य सरकार के अधीन समस्त विभागों के सजावटी विज्ञापन तथा निगम/ बोर्ड / पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापनों के प्रकाशन/प्रसारण, सुव्यवस्थित प्रचार–प्रसार कार्यों तथा फिल्म निर्माण आदि के कार्य संपादित किए जाने हेतु 1 दिसंबर 2002 को "राजस्थान संवाद" की स्थापना की गई।

राजकीय विभागों के सजावटी विज्ञापन व निगम/बोर्ड/पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापनों को राजस्थान संवाद के माध्यम से जारी किए जाने हेतु विभाग द्वारा क्रमशः दिनांक 20.01.2003, 20.09.2010, 30.09.2014, 12.02.2015, 11.03.2019 व 01.10.2019 को परिपत्र जारी कर विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए है।

विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में उपरोक्तानुसार जारी किए गए **निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है।** अनेक विभाग, निगम/बोर्ड/पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन स्वयं के स्तर पर सीधे ही समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ जारी किए जा रहे हैं। जोकि नियम विरूद्ध है। सभी राजकीय विभाग निगम/बोर्ड/पंचायती राज संस्था एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि अपने विभाग/संस्था के वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन **केवल और केवल राजस्थान संवाद के माध्यम से** ही प्रकाशनार्थ जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

अपने विभाग/संस्था में उपरोक्त निर्देशों की **पालना कठोरता से** किया जाना सुनिश्चित करवाने के आदेश करने का श्रम करें। अन्यथा स्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा।

(डी.बी.गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।

(नीरज. के. पवन)
आयुक्त
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग